संसद् में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

(1999 का अधिनियम संख्यांक 5)

[7 जनवरी, 1999]

संसद् में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेताओं और
मुख्य सचेतकों के लिए प्रसुविधाओं का
उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम संसद् में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 है ।

[1][(2) यह 5 फरवरी, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।]

[2][**2. परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मान्यताप्राप्त समूह" से अभिप्रेत है,—

(i) राज्य सभा के संबंध में, प्रत्येक ऐसा दल, जिसकी राज्य सभा में सदस्य-संख्या पन्द्रह से कम और चौबीस से अधिक न हो ;

(ii) लोक सभा के संबंध में, प्रत्येक ऐसा दल, जिसकी लोक सभा में सदस्य-संख्या तीस से कम और चौवन से अधिक न हो ;

(ख) "मान्यताप्राप्त दल" से अभिप्रेत है,—

(i) राज्य सभा के संबंध में, प्रत्येक ऐसा दल जिसकी राज्य सभा में सदस्य-संख्या पच्चीस से कम न हो ;

(ii) लोक सभा के संबंध में, प्रत्येक ऐसा दल जिसकी लोक सभा में सदस्य-संख्या पचपन से कम न हो ।]

[3][**3. मान्यताप्राप्त समूहों और दलों के नेताओं और मुख्य सचेतकों के लिए प्रसुविधाएं**—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, किसी मान्यताप्राप्त समूह और मान्यताप्राप्त दल का प्रत्येक नेता, उपनेता और प्रत्येक मुख्य सचेतक टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाओं का हकदार होगा :

परन्तु ऐसी प्रसुविधाएं, यथास्थिति, ऐसे नेता, उपनेता या मुख्य सचेतक को उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, जो—

(i) मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 2 में यथा परिभाषित मंत्री का पद धारण करता है ;

(ii) संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) की धारा 2 में यथा परिभाषित विपक्षी नेता का पद धारण करता है ; या

(iii) किसी संसदीय समिति या अन्य समिति, परिषद्, बोर्ड, आयोग या सरकार द्वारा स्थापित अन्य निकाय में किसी पद के धारण करने या उसमें प्रतिनिधित्व करने के आधार पर वैसी ही टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाओं का हकदार है ; या

(iv) वैसी ही टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाओं का हकदार है, जो उसे किसी अन्य हैसियत में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व वाले या उसके द्वारा नियंत्रित निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं ।]

4. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

---

[1] 2000 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 द्वारा (05-02-1999 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 2000 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा (07-06-2000 से) प्रतिस्थापित ।
[3] 2000 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा (07-06-2000 से) प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

5. 1959 के अधिनियम 10 की धारा 3 का संशोधन—संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में,—

(i) खंड (कख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कग) संसद् के किसी सदन में किसी मान्यताप्राप्त दल और किसी मान्यताप्राप्त समूह के प्रत्येक नेता का पद ;

(ii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण 3—खंड (कग) में, "मान्यताप्राप्त दल" और "मान्यताप्राप्त समूह" पद के वही अर्थ हैं जो संसद् में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 में हैं ।